यालय सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 12/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/761

अनवान

श्री नारायण सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
श्री अभय सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
श्री दलपत सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
श्रीमती मोहनकुंवर बेवा गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
श्रीमती कैलाश कुंवर पुत्री गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
श्रीमती भंवर कुंवर पुत्री गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
श्रीमती मेहताब कुंवर पुत्री गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

............वादीगण

बनाम्

1. श्री फतह सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2. श्री कैलाश चन्द्र पिता हरिवल्लभजी ब्राह्मम्ण निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला उदयपुर राज. मृतक के बजाय–

2/1 श्रीमती प्रभाशंकर पिता कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2/2 श्री योगेश्वर पिता कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2/3 श्रीमती माधुरी पुत्री कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2/4 श्रीमती संध्या पिता कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
2/5 श्रीमती प्रभादेवी पत्नी कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

3. श्री बद्रीलाल पिता हरिवल्लभ जी ब्राह्मम्ण निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
4. श्री विपिनबिहारी पिता हरिवल्लभ जी ब्राह्मम्ण निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।
5. श्री धर्मचन्द पिता सुखलाल जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज. मृतक के बजाय–

5/1 श्रीमती ललिता देवी पत्नी स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।
5/2 श्री राजेन्द्र उर्फ राजेश पिता स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।
5/3 श्री लोकेश पिता स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

5/4 श्रीमती पिंकी उर्फ लीला पुत्री स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तह.
जिला चित्तौडगढ राज.।

6. श्री छोगालाल पिता मोहनलाल जी जैन निवासी मेनार तहसील वल्लभनगर
राज.।

7. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उपपंजियक भीण्डर तह.
जिला उदयपुर राज.।

उपस्थित–

1. श्री फारूख मोहम्मद, अधिवक्ता वादी।
2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधि.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी

—:: निर्णय ::—

दिनांक 10.0

1. प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सपठित आदेश 14 नियम 2 एवं धारा 151 जा.दी. का पेश किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के निष्पादित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 14–04–1959 को वादीगण के मुकाबले प्रभावी घोषित किये जाने बाबत कोई सहायता नहीं चाही गयी है, जिससे वादीगण का आप माननीय न्यायालय में क्षेत्राधिकार के आधार पर चलने योग्य नहीं होने से इसी बिन्दु के आधार पर निरस्त योग्य है। साथ ही बताया कि वादीगण का वाद इस कारण चलने योग्य नहीं है कि वाद प्रस्तुती के पूर्व ही वादग्रस्त आराजियात में से आंशिक भूमि को सन् 1987, सन् 1992, सन् 2002 एवं सन् 2003 में ही कृषि भूमि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवा दिया गया था जहां प्रतिवादीगण निवास कर रहे हैं। वादीगण ने यह वाद सन 2013 में पेश किया है इस कारण वादग्रस्त आराजियात में से आंशिक भूमि वाद प्रस्तुती के पूर्व ही आबादी की होने से उस बाबत किसी भी प्रकार की घोषणा एवं निषेधाज्ञा पारित करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होने से वाद इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। साथ ही बताया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में हुए रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को शून्य प्रभावी घोषित किये जाने बाबत कोई सहायता नहीं चाहने से एवं प्रतिवादीगण का कब्जा मौके पर शुरू से होने से एवं इसका ज्ञान वादीगण को प्रारम्भ से होने से यह वाद स्पष्टतया मियाद [illegible] है। इस कारण भी वाद इसी स्तर पर निरस्त योग्य है। चूंकि वादग्रस्त भूमि पर [illegible] प्रतिवादीगण का [illegible] होने के कारण उनके द्वारा भूमि को कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाई जाकर उस पर कई मकान बनाये हैं, निर्माण करवाया है, [illegible] कब्जेयाबी का वाद प्रस्तुत किये बिना यह वाद चलने योग्य नहीं है, क्योंकि जब कब्जा ही प्रतिवादी पक्ष का है तो वादग्रस्त आराजियात सन 1955 से अर्थात गत 58 वर्षो से प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम समस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

लेखों में अंकित है तो वादीगण के पक्ष में घोषणा कैसे की जा सकती है। साथ
वादीगण द्वारा वाद के साथ ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है,
किसी दस्तावेज के बारे में वाद में वर्णन किया गया है कि वादग्रस्त आराजियात
नसिंह पिता नवलसिंह चौहान के नाम अंकित रही हो। वादीगण ने यह वाद
लत आधारों पर पेश किया है क्योंकि वादीगण के पिता/पति का नाम
पिता दौलतसिंह है तथा गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह की भूमि वादीगण के नाम
में आ चुकी है तो वादीगण के पिता/पति गोरधनसिंह के पिता का नाम
कैसे हो सकता है। गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह के नाम अंकित 07 बीघा 16
सन् 1995 में ही विरासत से अंकित हो चुकी थी तो वाद में वादीगण का यह
वादग्रस्त आराजियात बाबत विरासत का खाता खुलवाने के लिए पटवारी के पास
-02-2013 को जाने पर ज्ञान होने का कथन कैसे विश्वसनीय माना जा सकता
इस प्रकार के अभिकथन वेक्सेसियस प्लीडिंग की परिभाषा में आते हैं। साथ ही
कि वादीगण द्वारा मात्र चतुराई के आधार पर मिथ्या अभिवचन कर यह वाद
किया गया है, जो पूर्णतया मियाद बाहर है एवं चतुराई पूर्वक अभिवचनों के आधार
को अन्दर मियाद लाने का प्रयास किया गया है। यदि वास्तव में वादीगण का
आराजियात पर कब्जा होता तो प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में रूपान्तरण कैसे
जिससे प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से वाद को इसी स्तर पर निरस्त किये
का निवेदन किया।

दी संख्या 2 से 4 के उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब में प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत करते
वादीगण की ओर से बताया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से पूर्व में दिनांक
-2013 को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिसे
प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से दिनांक 08-02-2017 को नोट प्रेस कर लिया
। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 पुनः ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए
बाधित है। प्रतिवादीगण द्वारा न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए देरी कारित करने
उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि वादीगण की ओर से दो
-अलग प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 जा.दी एवं 7 नियम 14 जा.दी का लम्बित
प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जवाब हेतु नियत है। वादीगण की ओर से पूर्व
प्रस्तुत प्रार्थना पत्रों के जवाब से बचने के लिए दुराशय [illegible] प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया
है। वादीगण के द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश [illegible] मेण्डर में विक्रय पत्र
निरस्तीकरण बाबत वाद प्रस्तुत किया गया [illegible] उस वाद को
वाद के चलते स्थगित किये जाने बाबत आदेश पारित किया गया है, जिससे वादीगण
अधीन है। मदक्रमानुसार जवाब में वादीगण ने बताया कि वादी अथवा उसके पूर्वाधिकारी
भी प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के निष्पादक नहीं रहे हैं,
उक्त विक्रय पत्र वादीगण के मुकाबले शून्य व बेअसर है। वादीगण का वाद घोषणा बाबत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा बावत क्षेत्राधिकार
न्यायालय को ही प्राप्त है। यदि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा नुमाईशी
आधार पर नुमाईशी अन्तरण अथवा नुमाईशी संपरिवर्तन करा लिया गया है
अधिकारों के मुकाबले शून्य व बेअसर है। वादीगण ने स्वयं को
खातेदार के रूप में घोषणात्मक सहायता चाही है जो राजस्व न्यायालय
सकती है। घोषणा के वाद हेतु कोई मयाद प्रावधित नहीं है तथा जहां तक
प्रतिवादी संख्या 2 से 4 अपना कब्जा बताते है जबकि वादीगण अपने
रूप से अपना कब्जा होना अंकित कर के आये है जो की साक्ष्य एवं विचारण के
तय हो सकेगा। आदेश 7 नियम 11 जा.दी के तहत केवल वाद पत्र में किये गये
को ही देखा जा सकता है साथ ही बताया कि वादीगण के पति व पिता गोरधन
नवलसिंह चौहान थे, जो की नवल सिंह जी की मृत्यु के उपरान्त दौलतसिंह
चले गये थे इस कारण राजस्व ग्राम चौहानों का खेड़ा में वादीगण के पति व
गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह अंकित है, जो सदभाविक रूप से गोद पुत्र व
रूप में नाम दर्ज है जिससे जवाब उल जवाब की कलम संख्या 9 में
वांधित है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार
नहीं किया है कि वादीगण ने कौन से कथन चतुराई पूर्वक अंकित किये हैं एवं क्या
स्थिति उत्पन्न हुई है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा कूटरचना के आधार पर विक्रय पत्र
कर राजस्व रेकार्ड में हेराफेरी कर बिना किसी प्राधिकार के संपरिवर्तन करवा लिया है
ऐसा संपरिवर्तन वादीगणों के हक, अधिकारों के मुकाबले शून्य व बेअसर है। प्रकरण
2014 से लम्बित है, जिससे इस प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण को और
लम्बित रखना चाहते हैं, जिससे आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा
151 जा.दी. का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाने का निवेदन किया।

3. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की सहमति से बहस
सुनी गयी। बहस के प्रारम्भ में ही अधिवक्ता वादीगण की ओर से यह निवेदन किया गया
कि उनकी ओर से धारा 151 जा.दी. में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हुआ है कि वादीगण
की ओर से आदेश 6 नियम 17 व आदेश 7 नियम 14 जा.दी. के प्रार्थना पत्रों को
अलग-अलग प्रस्तुत किये जाने बावत प्रतिवादीगण की और से यह बताते हुए निवेदन
किया था कि वादीगण दोनों सहायता के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं
किन्तु अब स्वयं प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 जा.दी. का
प्रार्थना पत्र एक साथ प्रस्तुत किया है ... कृत्य एवं आचरण से ... है। इस स्थिति में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 स्वयं अपने
प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम ... प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के द्वारा प्रस्तुत
... एवं आदेश 14 नियम 2 जा.दी. नियम विरुद्ध होने से
निरस्त कराये जावें। इसके जवाब में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 ने बताया कि यह गलत है
कि आदेश 7 नियम 11 व आदेश 14 नियम 2 जा.दी. के प्रार्थना पत्र एक साथ संवहनीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

कि इस प्रार्थना पत्र में प्रतिवादीगण द्वारा जो सहायता चाही गयी है वह एक
कि विरोधाभाषी। इस कारण प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. निरस्त किये जाने
किया गया। बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीपक्ष की ओर से बताया गया कि पूर्व में
ओर से जो प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 एवं आदेश 7 नियम 14 जा.दी. का
र्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था वह इस कारण अलग–अलग प्रस्तुत किया गया
था कि आदेश 7 नियम 14 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के निर्णय के पश्चात ही आदेश
17 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता था। इसी कारण से न्यायालय
आदेश दिनांक 23–05–2024 से अलग–अलग प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु आदेश
उसी की पालना में वाद में वादीगण ने अलग–अलग प्रार्थना पत्र पेश किये, किन्तु
गण द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व आदेश 14 नियम 2 जा.दी. में चाही गयी
एक समान होने के कारण यह प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. व आदेश
नियम 2 जा.दी. एक साथ चलने योग्य है। हमने बहस पर मनन किया। चूंकि वादीगण
ओर से बाद में प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2
धारा 151 जा.दी. का जवाब विस्तार से प्रस्तुत कर विस्तृत बहस कर ली गयी है
आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी. में चाही गयी
सहायता एक समान होने से वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. प्रभाव शून्य
जाने से उसे निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की ओर से आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 सपठित
धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को
दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड
विक्रय पत्र दिनांक 14–04–1959 का है एवं सन 1959 में ही वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या
2 से 4 के नाम अंकित हो चुकी है तो सामान्य ज्ञान के प्रक्रम में भी यह नहीं माना जा
सकता है कि गत 54 वर्षों में वादीगण को यह ज्ञात नहीं हो पाया हो कि वादग्रस्त भूमि
उनके नाम अंकित नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित
। साथ ही निवेदन किया कि वादीगण के पिता गोरधनसिंह के पिता का नाम नवलसिंह
नहीं होकर दौलतसिंह है तथा गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह की मृत्यु के पश्चात उनकी ग्राम
...ड़र में स्थित 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्वयं वादीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 3185
सन 1995 में ही वादीगण के नाम राजस्व अभिलेखों में ... चुकी है तो वादीगण
...धनसिंह पिता नवलसिंह के पुत्र कैसे ... ओर से ऐसा कोई
दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की गयी है कि वादग्रस्त भूमि ... चौहान के
नाम से कभी भी जमाबन्दियों में दर्ज रही हो। साथ ही नि... किया कि जब स्वयं
वादीगण ने गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह की मृत्यु के पश्चात उनके नाम अंकित भूमि को
अपने नाम सन 1995 में अंकित करवाया है तो यह कैसे माना जा सकता है कि वादग्रस्त
भूमि राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम अंकन होने बाबत ज्ञान उन्हें

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

पटवारी के पास जाने पर दिनांक 10-02-2013 को हुआ। वादीगण ने
वेक्सेसियस प्लीडिंग का सहारा लिया है। इतना ही नहीं वादीगण ने इस
उल जवाब में यह कथन लिया है कि गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह के
वादीगण के नाम सहवन से गलत दर्ज हो गयी है, जिसके लिए वे सुधार
करवा रहे हैं, किन्तु आज तक वादीगण द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की
विपरीत वादीगण ने आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के इस प्रार्थना पत्र के जवाब में
कर दिया कि गोरधनसिंह पिता नवलसिंह चौहान, नवलसिंह की मृत्यु के पश्चात
जी के गोद गये थे इस कारण राजस्व ग्राम चौहानों का खेड़ा में वादीगण के पि
का नाम गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह अंकित है जो कि गोद पुत्र व गोद पिता
दर्ज है। इस प्रकार का कथन पश्चातवर्ती सोच के आधार पर मिथ्या रूप से
गया है, जिससे वादग्रस्त आराजियात गोरधनसिंह पिता नवलसिंह चौहान की होने
ही पैदा नहीं होता है, जबकि वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम भीण्डर की है
जमाबन्दियों में गोरधनसिंह पिता नवलसिंह राजपूत के नाम दर्ज है। दौराने बहस
प्रक्रम पर वादीगण के अधिवक्ता की ओर से नामान्तरकरण संख्या 2 की दो
प्रतियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिखायी गयी, जिसमें एक में गोरधनसिंह
नवलसिंह राजपूत सा.देह के आगे "चौहान" शब्द अंकित हैं, जबकि दूसरी प्रमाणित
"चौहान" शब्द अंकित नहीं है, तो इस पर प्रतिवादीपक्ष द्वारा विरोध कर निवेदन किया
कि इन दोनों प्रमाणित प्रतियों से ही यह स्पष्ट है कि "चौहान" शब्द बाद में कूटरचना
बढ़ाया गया है, जिससे इन दोनों प्रमाणित प्रतियों को रेकार्ड पर रखाया जाने बाबत प्रार्थना
पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रतिवादीगण की इस आपत्ति पर न्यायालय द्वारा अधिवक्ता
वादीगण को उक्त दोनों प्रमाणित प्रतियों को न्यायालय में आवश्यक रूप से पेश करने
बाबत आदेश दिया गया फिर भी वादीगण की ओर से उन्हें पेश नहीं किया गया। अधिवक्ता
प्रतिवादीगण द्वारा अपनी बहस में बताया कि वादीगण ने जवाब उल जवाब में एवं प्रार्थना
पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के जवाब में विरोधाभाषी कथन अंकित किये हैं, जो
स्पष्टतया वेक्सेसियस प्लीडिंग की परिभाषा में आने से वाद को इसी बिन्दु पर निरस्त किये
जाने का निवेदन किया। इस बाबत प्रतिवादीगण की ओर न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर.
1977 सुप्रिम कोर्ट पेज 2421 प्रस्तुत किया जाकर वाद को इसी बिन्दु के आधार पर निरस्त
किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण की यह बहस भी है कि वाद सन 2013 में
प्रस्तुत किया गया है, ... वादग्रस्त ... आंशिक भूमि सन 1987 से सन 2003 के
मध्य ही आवासीय प्रयोजनार्थ ... चुकी है, जहां प्रतिवादीगण मकान बनाकर
निवास कर रहे हैं, इस ... इस न्यायालय को घोषणा करने का कोई
अधिकार नहीं है। जहां ... भूमि ... कृषि भूमि बाबत संयुक्त वाद हो वहां घोषणा
एवं निषेधाज्ञा बाबत वाद की सुनवाई का अधिकार सक्षम दीवानी न्यायालय को ही प्राप्त है।
इस बारे में न्यायिक दृष्टान्त 1968 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 375 प्रस्तुत किया। साथ ही आबादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

...न्यायालय को श्रवणाधिकार नहीं है, इस बारे में अधिवक्ता प्रतिवादीगण ...यिक दृष्टान्त आर.वी.जे. (15) 2008 पेज 489, 2005 (2) आर.आर.टी. पेज ...आर.आर.डी. पेज 245, 1975 आर.आर.डी. पेज 191, 2018 (1) आर.आर.टी. ...त किये।

...के अधिवक्ता की ओर से यह बहस भी रही कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के ...दित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14–04–1959 को इस न्यायालय से कहीं पर ...के विरूद्ध शून्य प्रभावी घोषित किये जाने बावत कोई सहायता नहीं मागी गयी ...ल भी वादीगण का वाद अवधि पार है, इस हेतु प्रतिवादीगण की ओर न्यायिक ...आई.आर. 2019 सुप्रिम कोर्ट पेज 1430 प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादीगण के ...ने बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजियात में जो भूमि वाद प्रस्तुती के पूर्व ही ...हो चुकी है, उस पर प्रतिवादीगण के मकान बने होकर निवास है, जिससे ...संख्या 2 से 4 का कब्जा सिद्ध है, किन्तु वादीगण द्वारा बिना कब्जेयाबी बावत ...त किये ही सीधा घोषणा व निषेधाज्ञा बाबत वाद प्रस्तुत कर दिया गया है, जो ...र पर निरस्त योग्य है। इस कारण वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा बाधित ...प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए वाद को इसी स्तर पर ...किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस के जवाब में ...के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के जवाब में अंकित कथनों ...हराते हुए वादीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ...दी संख्या 2 से 4 की ओर से पूर्व में दिनांक 20–04–2015 को आदेश 7 नियम 11 ...में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसे दिनांक 08–02–2017 को नोट प्रेस कर ...जाने से अब यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं है। इसके जवाब में प्रतिवादीगण के ...क्ता ने निवेदन किया कि पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मात्र इस आधार पर था कि वाद ...लन संख्या 1 में आराजियात कुल किता 13 बताया गया था, जबकि आराजियात की ...करने पर 17 खसरा नंबर बन रहे थे तथा प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु वाद प्रस्तुती ...ही हो जाने से वाद नलिटी होने से निरस्त योग्य होना बताया गया था, किन्तु बाद में ...गण ने यह स्पष्ट कर दिया कि आराजी नंबर 3242–3243, 3248–3249, 3252–3253, ...–3260 शामिल नंबर हैं, जिससे आराजी किता 17 नहीं होकर किता 13 ही हैं तथा ...गण की ओर से दिनांक 18–01–2017 को प्रतिवादी संख्या ... नाम हटाये जाने ...त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। चूंकि प्रतिवादीगण ... आदेश 7 ...म 11 जा.दी. इन्हीं बिन्दुओं पर था, जिसका स्पष्टीकरण वादीगण ... कर दिया गया ...। इस कारण प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से दिनांक 08–02–2017 को प्रार्थना पत्र ...देश 7 नियम 11 जा.दी. को नोट प्रेस कर दिया गया, जिससे हस्तगत प्रार्थना पत्र ...देश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रतिबंधित होने का प्रश्न ही नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

6. वादीगण के अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि उनके द्वारा [illegible] बाबत सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था जो धारा 10 जा.दी. [illegible] कर दिया गया है। इस कारण वाद की विधि मान्यता एवं मयाद स्वीकार [illegible] इसके जवाब में अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से निवेदन किया गया कि सिविल न्यायालय में वाद मात्र विक्रय पत्र निरस्ती बाबत प्रस्तुत किया था [illegible] में प्रस्तुत किया गया था, जिससे वाद के मियाद में आने का प्रश्न ही नहीं [illegible] वाद भी इस वाद के लम्बित रहते हुए प्रस्तुत किया गया था, जिसे स्थगित [illegible] इस कारण इस वाद की विधि मान्यता, क्षेत्राधिकार एवं मियाद प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] ओर से स्वीकार किये जाने का प्रश्न ही नहीं है। वादीगण के अधिवक्ता ने बहस [illegible] निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र प्रा[illegible] शून्य व बेअसर है। हस्तगत वाद में विवाद की उत्पत्ति कृषि भूमि के रूप में हुई [illegible] संपरिवर्तन के बावजूद इसी न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार है। प्रतिवा[illegible] कब्जा बताकर आये हैं वह साक्ष्य का विषय है। आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के [illegible] वाद पत्र में किये गये अभिवचनों को ही देखा जाना है, जिससे प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. निरस्त किये जाने बाबत [illegible] किया। वादीगण की ओर से कोई भी न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यान पूर्वक अव[illegible] किया तथा अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन [illegible] मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदे[illegible] नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी. को निस्तारित करने हे[illegible] हमारे द्वारा वाद का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे पाया कि वादीगण [illegible] अनुसार गोरधनसिंह पिता नवलसिंह राजपूत नाम के दो व्यक्ति थे, जिसमें एक गोरधन[illegible] पिता नवलसिंह राजपूत चौहान व दूसरे गोरधनसिंह पिता नवलसिंह राजपूत शक्तावत [illegible] वादीगण के अनुसार गोरधनसिंह पिता नवलसिंह राजपूत शक्तावत की मृत्यु के [illegible] वादग्रस्त आराजियात, जिसे वादीगण अपनी होना मानते हैं, को गोरधनसिंह पिता नवल[illegible] राजपूत शक्तावत के पुत्र फतहसिंह ने अपने नाम अंकित करवा ली। जबकि वादीगण [illegible] अनुसार गोरधनसिंह पिता नवलसिंह राजपूत चौहान की मृत्यु दिनांक 25–07–1993 को हु[illegible] थी। बाद में जब वादीगण अपने पिता के [illegible] निधन के बाद वादग्रस्त भूमि को दिनांक 10–02–2013 को [illegible] का [illegible] करवाने गये तो उन्हें पता लगा कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 [illegible] नाम घोषित किये [illegible] जिससे वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को अ[illegible] [illegible] हस्तगत वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओ[illegible] से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी. एवं वादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब के आधार पर इस न्यायालय को यह देखना है कि क्या वादीगण का वाद क्षेत्राधिकार के बिन्दु, मियाद के बिन्दु, वेक्सेसियस प्लीडिंग के बिन्दु

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

इस स्तर पर चलने योग्य है अथवा नहीं। इस हेतु आदेश 7 नियम 11 जा
निम्नानुसार है :–

वादपत्र निम्नलिखित दशाओं में नामंजूर किया जाएगा–

वाद–हेतुक प्रकट नहीं करता है।

दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प–पत्र के देने के लिए न्यायालय ने नियत किया करने में असफल रहता है।

वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

वह दो प्रतियों में फाइल नहीं किया जाता है।

वादी नियम 9 के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

जहां तक इस वाद में क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार के बिन्दु का प्रश्न है तो यह एक स्वीकारात्मक स्थिति है कि वाद प्रस्तुती के पूर्व ही आंशिक भूमि कृषि भूमि है एवं आंशिक भूमि आबादी में संपरिवर्तित भूमि है तथा जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से भी स्पष्ट है। चूंकि आबादी भूमि में आंशिक भूमि का संपरिवर्तन वाद प्रस्तुती के काफी समय पूर्व ही हो चुका था, जिससे संपरिवर्तित भूमि को आबादी भूमि ही माना जावेगा एवं जहां आंशिक भूमि कृषि एवं आंशिक भूमि आबादी की हो वहां इससे संबंधित घोषणा एवं निषेधाज्ञा का वाद सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा ही श्रवण किया जावेगा। इस बारे में हमारे द्वारा अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1968 आर.एल.डब्ल्यू. पेज 375 रत्तू बनाम माला का अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह व्यवस्था दी गयी है कि जहां कृषि भूमि एवं अकृषि भूमि बाबत विवाद हो वहां सिविल न्यायालय को ही वाद सुनवाई के अधिकार हैं। Tenaccy Act, Sec. 242 – Composite suit respecting

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

agricultural and non-agricultural properties arising from one cau[se] triable by Civil Court only.

It is not disputed that the suit in respect of non-agricultural prop[erties could] only be instituted in the Civil Court. As there was one cause of action to t[he plaintiff] both in respect of agricultural as well as non-agricultural properties he [could not] have brought two suits. One suit in respect of both these properties coul[d be] instituted in the Civil Court.

The provision contained in Sec. 242 of the Rajasthan Tenancy Act show that the Legislature contemplated that a composite suit shall be in[stituted] in the Civil Court which shall frame an issue on the plea of tenancy in re[spect of] agriclutural land and remit it for decision to the appropriate revenue court.

इसके विरोध में वादीगण के अधिवक्ता की ओर से ऐसी कोई नजीर प्रस्तुत न[हीं की] गयी है कि जहां कृषि एवं अकृषि दोनों प्रकार की भूमियां हो वहां राजस्व न्यायाल[य को] श्रवणाधिकार प्राप्त हों।

इसके अतिरिक्त भी प्रतिवादीगण की ओर से जो न्यायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 2008 पेज 489, 2005 (2) आर.आर.टी. पेज 1018, 1972 आर.आर.डी. पेज 245, 1975 आर.डी. पेज 191 प्रस्तुत किये गये-उनके अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि आबादी से संबंधित वाद के श्रवणाधिकार सिविल न्यायालय को हैं, न कि राजस्व न्यायालय को।

वादीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उन्होंने तो अपने वाद में समस्त भूमि को कृषि भूमि ही बताया है एवं आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र में वाद के अभिवचनों को ही देखा जा सकता है, किन्तु इस बारे में वादीगण की ओर से जो जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया है उसमें उक्त रूपान्तरण को छल कपट द्वारा करवाना बताया गया है, किन्तु यह नहीं बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा कथित रूपान्तरित भूमि कृषि से आबादी में रूपान्तरित नहीं हुई हो। इस बारे में हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में रूपान्तरित भूमि [illegible] काफी समय पूर्व के हैं। इस कारण [illegible] अवलोकन किया गया। जो वाद प्रस्तुती के [illegible] अविवादित दस्तावेजों को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र [illegible] निस्तारण में [illegible] सकता है, जैसाकि न्यायिक दृष्टान्त 2018 (1) आर.आर.टी. पेज 534 [illegible] बुद्धा में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया गया है कि :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

...of Civil procedure, 1908-Order 7, Rule 11-Rejection of plaint-
...oduced by the defendants which are undisputed, can also be looked

...कार उपरोक्त विवेचन के आधार पर इस वाद को हम इस न्यायालय के
...वं श्रवणाधिकार में नहीं होना पाते हैं जिससे वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के
...तहत नामंजूर किये जाने योग्य है।

...द्वारा वाद एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाबुल जवाब तथा आदेश 7 नियम 11 जा.
...र्थना पत्र के जवाब का अवलोकन किया गया तो उसमें यह बात उभर कर आती है
...नसिंह के पिता का नाम प्रतिवादीगण दौलतसिंह होना बता रहे हैं, जबकि वादीगण
...सिंह के पिता का नाम नवलसिंह होना बता रहे हैं। किन्तु पत्रावली पर वादीगण के
...त में जवाबुल जवाब में तो वादीगण गोरधनसिंह को दौलतसिंह का पुत्र नहीं होना
...ते हुए यह बता रहे हैं कि गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह की भूमि वादीगण के नाम
...अभिलेखों में गलत अंकित हुई है, जिसे वे सुधारने की कार्यवाही करवायेंगे, जबकि
...प्रस्तुत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र के जवाब में वे गोरधनसिंह को
...सिंह का गोद पुत्र होना बता रहे हैं, जो आपस में विरोधाभाषी कथन है। पत्रावली पर
...भी जमाबन्दियां प्रस्तुत हुई हैं उनमें कहीं पर भी गोरधनसिंह पिता नवलसिंह राजपूत
...में "चौहान" शब्द नहीं है तो वादग्रस्त भूमि को गोरधनसिंह पिता नवलसिंह चौहान की
...होना प्रथम दृष्टया नहीं माना जा सकता है। पत्रावली पर जागीर रिजम्शन के समय का
...नामान्तरकरण संख्या 2 वादीगण की ओर से पेश किया गया, जिसमें राजपूत के आगे
..."चौहान" शब्द अंकित है, किन्तु प्रतिवादीगण इस "चौहान" एवं "शक्तावत" शब्द को
...वादीगण के द्वारा बढ़ाया जाना बताते हैं। दौराने बहस वादीगण के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय
...में उक्त नामान्तरकरण संख्या 2 की दो प्रमाणित प्रतियां बतायी गयी, जिसमें एक में "चौहान"
...शब्द है व दूसरे में "चौहान" शब्द नहीं है। इस हेतु प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
...नामान्तरकरण संख्या 2 की दोनों प्रतियों को न्यायालय की पत्रावली पर प्रस्तुत करवाये जाने
...का निवेदन किया गया, उक्त निवेदन उचित होने से न्यायालय हाजा द्वारा दोनों प्रतियों को
...प्रस्तुत करने बाबत आदेश दिया गया, किन्तु बावजूद आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे
...प्रथम दृष्टया यह पतीत होता है कि "चौहान" एवं "शक्तावत" ... में बढ़ाये गये हैं।
...वादीगण द्वारा अपने जवाब में कथन कहा कि गोरधनसिंह पिता ... की भूमि ... से
...वादीगण के नाम अंकित हुई है, जिससे भी यह ... होता है ... यदि वादग्रस्त भूमि
...वादीगण की थी तो तत्समय ही इसे वादीगण के ... करायी गयी एवं 54
...वर्ष तक वादीगण कैसे चुप बैठे रहे। इसके अतिरिक्त भी वादीगण स्वयं अपने पिता की मृत्यु
...1993 में होना बता रहे हैं तो वादग्रस्त भूमि बाबत विरासत से खाता सन 2013 अर्थात 20
...वर्ष पश्चात पटवारी के पास खाता खुलवाने के लिए जाना भी विश्वसनीय प्रकट नहीं होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

है। इस कारण इस हेतु जो अभिवचन प्रस्तुत किये गये हैं उन्हें हम वेक्सीशि
प्लीडिंग की परिभाषा में पाते हैं, जिससे इस बिन्दु पर भी वाद नामंजूर किये

वादीगण की ओर से वाद की सहायता में यह मांग नहीं की गयी संख्या 2 से 4 के पक्ष मे जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14-04-1959 का के मुकाबले शून्य प्रभावी घोषित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार की सहाय पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्पष्टतया अवधि पार है। इस प्रकरण में विक्रय का है एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के पक्ष में राजस्व अभिलेखों में उक्त विक्रय पर अंकन भी सन 1959 में ही हो गया था, जबकि वाद 54 वर्षो पश्चात वर्ष 20 किया गया है। किन्तु मात्र चतुराई के आधार पर इस अंकन का ज्ञान दिनांक 1 को पटवारी के पास खाता खुलवाने के लिए जाने पर होना बताया है, जबकि स्व द्वारा सन 1994 में गोरधनसिंह पिता दौलतसिंह के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकि उन्होंने अपने नाम अंकित करवाया है। इस कारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वा आर. 2019 सुप्रिम कोर्ट पेज 1430 राघवेन्द्र शरण सिंह बनाम राम प्रसन्ना सिं निर्धारित किया है कि वाद में चतुराई पूर्वक कथन करके यदि वाद को मयाद के अ का प्रयास किया गया हो तो इस प्रकार के वाद को अवधि पार मानते हुए निरस्त कि इस प्रकरण में भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कब्जा प्रतिवादी संख्या 2 से पूर्वाधिकारी विक्रेता फतहसिंह का बता रखा है तो ऐसी स्थिति में कब्जेयाबी का वाद नहीं करते हुए चतुराई से मात्र घोषणा व निषेधाज्ञा का वाद यह आधार बताते हुए प्रस्तु दिया गया है कि घोषणा के वाद में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में मियाद नहीं है, कब्जेयाबी बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में 12 वर्ष की मयाद निर्धारित है। कारण यदि सत्यता पूर्वक कब्जेयाबी बाबत वाद प्रस्तुत किया जाता तो वह प्रथम दृष्टया मियाद बाहर था, इस कारण वाद को मात्र चतुराई पूर्वक ड्राफ्ट करते हुए अन्दर मयाद ला का प्रयास किया गया है, जिससे भी हम इस वाद को नामंजूर किया जाने योग्य पाते हैं।

पत्रावली दिनांक 10-07-2025 को आदेश 7 नियम 11 एवं आदेश 14 नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी. के प्रार्थना पत्र बाबत आदेश हेतु नियत थी, किन्तु तत्समय वादीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. व प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा. दी. प्रस्तुत कर बहस स्थगित फरमाये जाने व प्रतिवादी संख्या 1 फतहसिंह के वारिसान को सजरे अनुसार पक्षकार के [illegible] निवेदन किया। प्रथम तो इस आदेश द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं [illegible] नियम 2 सपठित धारा 151 जा.दी. का निस्तारण किया जा रहा है [illegible] कहीं [illegible] प्रार्थना पत्र की आवश्यकता नहीं है। द्वितीय पत्रावली के अवलोकन से [illegible] है कि स्वयं वादीगण की ओर से दिनांक 18-01-2017 को प्रतिवादी संख्या 1 फतहसिंह का नाम हटाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर हटवाया गया है। यदि फतहसिंह के वारिस होते तो तत्समय ही उनकी नामकायमी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

किन्तु अब फतेहसिंह शक्तावत के पश्चात रघुराजसिंह को गोद पुत्र बताते हुए की मृत्यु के पश्चात उसके वारिसों का नाम जोड़े जाने बाबत यह प्रार्थना पत्र ा है, जो इस स्तर पर चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 151 आदेश 1 नियम 10 जा.दी. को निरस्त किया जाता है।

विवेचन के अनुसार हम यह पाते हैं कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा सी स्तर पर अस्वीकार किये जाने योग्य है।

—::आदेश::—

रूप प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश ठेत आदेश 14 नियम 2 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण र कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम

देनांक 10.07.2025 को खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

...य सहायक कलक्टर भीण्डर, जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश चन्द्र बहेडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : 12/21 (वाद)

GCMS NO: 2021/761

अनवान

...ण सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर

...त सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर

...पत सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर

...मोहनकुंवर बेवा गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर

... कैलाश कुंवर पुत्री गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला ...पुर राज.।

...ी भंवर कुंवर पुत्री गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ।

...ी मेहताब कुंवर पुत्री गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला ...पुर राज.।

............वादीगण

बनाम्

... फतह सिंह पिता गोरधन जी राजपुत निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर ...ज.।

... कैलाश चन्द्र पिता हरिवल्लभजी ब्राह्मण निवासी भीण्डर तहसील वल्लभनगर जिला ...दयपुर राज. मृतक के बजाय–

... श्रीमती प्रभाशंकर पिता कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

... श्री योगेश्वर पिता कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

... श्रीमती माधुरी पुत्री कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

... श्रीमती संध्या पिता कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

...5 श्रीमती प्रभादेवी पत्नी कैलाश चन्द्र आमेटा निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

... श्री बद्रीलाल पिता हरिवल्लभ जी ब्राह्मण निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

... श्री विपिनबिहारी पिता हरिवल्लभ जी ब्राह्मण निवासी भीण्डर तहसील भीण्डर जिला उदयपुर राज.।

... श्री धर्मचन्द पिता सुखलाल जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज. मृतक के बजाय–

.../1 श्रीमती ललिता देवी पत्नी स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

.../2 श्री राजेन्द उर्फ राजेश पिता स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बडीसादडी जिला चित्तौडगढ राज.।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested

5/3 श्री लोकेश पिता स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तहसील बड़ी
चित्तौडगढ राज.।

5/4 श्रीमती पिंकी उर्फ लीला पुत्री स्व. धर्मचन्द्र जी जैन निवासी बोहेडा तहसील
जिला चित्तौडगढ राज.।

6. श्री छोगालाल पिता मोहनलाल जी जैन निवासी मेनार तहसील वल्लभनगर जि
राज.।

7. श्री राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार/उपपंजियक भीण्डर तह
जिला उदयपुर राज.।

उपस्थित–1.

1. श्री फारूखं मोहम्मद, अधिवक्ता वादी।

2. श्री पन्नालाल मारू, अधिवक्ता प्रतिवादी।

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनि

मुकदमा न. : 12/21 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश चन्द्र बहेडिया R.A.S. मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जांता है व डिगरी दी जाती है कि:– परिणामस्वरूप संख्या 2 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित नियम 2 एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद अस्वीकार किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 10.07.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.29 16:20:31 IST
Reason: SelfAttested